Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

भारतीय महिला : अस्मिता और अस्तित्व

डॉ. पूनम सिंह
नेट पी–एच.डी. राजनीतिशास्त्र

नारी प्रश्न आज के आधुनिक विकास के दौर में भी बना हुआ है। सामाजिक परिर्वतन, सास्कृतिक बदलाव, प्रजातान्त्रिक मूल्यों और व्यक्ति के मानवाधिकारों की लगातार बढ़ती जनचेतना, शिक्षा और प्रसार के तकनीकी दौर में क्या मौजूदा परिवार व्यवस्था को पुरानी पितृसत्ता की निरंकुशता को बनाए–बचाए रखकर बचाना संभंव है? सामन्ती परिवार सत्ता से प्रजातांत्रिक राजसत्ता (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैद्यानिक) तक में आज भी स्त्री की स्थिति, सम्मान और अधिकार क्या है? विवाह से विवाहोविच्छेद तक के निर्णयों में उसका अपना निर्णय कहाँ और कितना है? एक संबंध से मुक्त होने की विवशता से लेकर दूसरे संबंध में बांधने की मजबूरी के पीछे स्त्री कितनी अपमानित, असहाय और आहत है। इस वर्तमान दौरे में भी भारतीय महिलाओं की स्थिति कुछ सुधरी है तो कुछ उसकी स्थिति वैश्विक सशक्तीकरण के नाम पर देह विमर्श तक सिमटकर रह गई है।

एक तरह से स्त्री के देह के सौन्दर्य का व्यावसायीकरण हो गया है। आज वह फिल्मों में, राजनीति में, उद्योग में, सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में देह की कीमत वसूल रही है। लगता है कि पूर्व से पश्चिम तक बसे–उजड़े परिवारों में स्त्री की (ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) स्थिति, क्षमता ओर चिन्तन, क्षमता, सीमा, संघर्ष और शुभाकांक्षाओं को सूक्ष्मता से समझने या बहस, चिन्ता और चिन्तन के बाद ही 'परिवार बचाओ' को अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया गया होगा। पिछले दो दशकों में (भारत में) हजारों समाजसेवी संस्थाओं की स्थापना, गोष्ठी, सेमीनार और अरबों रूपए की सरकारी, गैर–सरकारी, देशी–विदेशी मदद, अनुदान और योजनाओं का कुल परिणाम क्या निकाला? क्या भारतीय समाज में आम औरतों की स्थिति में गुणात्मक सार्थक परिवर्तन हुआ? इस दौरान है कोई राष्ट्रीय, प्रान्तीय स्तर का बड़ा नारी मुक्ति आंदोलन? साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि स्त्रियों को शिक्षित और जागृत करना नहीं है बल्कि उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के (बांड) पहचान–खरीद सके। दूसरी तरफ स्त्रियां जिन्हें सत्ता संस्थानों में कभी–कभार प्रतिनिधित्व मिल

जाता है। 60 सालों में गिने–चुने महिला न्यायधीशों का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, कुछ अन्य विद्वान हाई कोर्ट तक पहुंची, कुछ विशेषाधिकार वर्ग की बहु–बेटियों का अफसर, मंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री बन जाना या बना देना संयोग, सौभाग्य है जो सत्ताधीश वर्ग की उदारता के परिणाम या प्रमाण नहीं है। आम स्त्रियां सत्ता संघर्ष में सिंहासन तक पहुंचने या बने रहने की कोशिश में अत तक कितनी को तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या गुमनाम करने के लिए विधवाओं और पागलखानों की अंधेरी कोठरियों में कैद करके छोड़ दिया जाता है। क्योंकि सत्ताधीश स्त्री को पितृसत्ता द्वारा खींची 'लक्ष्मण रेखा' लांघने की अनुमति नहीं है। आज वर्तमान मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) सुश्री मायावती को सत्ता तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी होगी। उनके ऊपर भी पुरूष प्रधान समाज कीचड़ उछालने की बहुत कोशिश करता है। यही कारण है कि आज जो भी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मौजूद है, उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। आंकड़ों और अपवादों के उदाहरण गिनने–गिनाने से क्या लाभ?

जब तक पितृसत्तामक पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति के उत्त्राधिकार के लिए वैध–पुत्रों की अनिवार्ययता और परिवार में पुरूष का अधिनायकवादी वर्चस्व बना रहेगा, तब तक औरत की अस्मत और अस्मिता, अस्तित्व और वयक्तित्व, अधिकार और अभिव्यक्ति, समानता और सम्मान का हर संघर्ष अधूरा और सारे घोषणा–पत्र बेमानी होगी। आज स्त्रियों को सौन्दर्य के लिए 'प्राइज' नहीं बल्कि बोद्धिक क्षमताओं और क्षम के 'प्राइज' के लिए लड़ना होगा तभी वह पुरूषों के षडयन्त्रकारी चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी। इसके अलावा महिलाओं को अपने सिमटते अस्तित्व के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि लिंग–परीक्षण की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा भ्रूण का पता लगाकार लड़की होने की स्थिति में गर्भपात कराने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ी है। इससे ज्यादा भयावह स्थिति नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं का दिन–प्रतिदिन बढ़ना। वर्तमान में शासन सर्वोच्चता में बैठी महिलाओं के बावजूद उ.प्र. व अन्य प्रान्तों में घटनाएं हो रही हैं। ये मासूम निरन्तर इन काम पिपासियों और विक्षिप्त या मानसिक बीमारियों से ग्रस्तों के शिकार बन रही है। बच्चियों से बलात्कार में बढ़ोत्तरी का एक मुख्य कारण यह भी है कि युवा लड़कियों, बच्चियों की उपेक्षा अधिक विरोध कर सकती है, चीख सकती है और शिकायत कर सकती है। बलात्कारी पुरूष सोचता है– बच्चियां बेचारी क्या कर लेंगी? विशेषकर जब बलात्कार घर में पिता, भाई, चाचा, ताऊ, या अन्य रिश्तेदारों द्वारा किया गया है। अक्सर कम उम्र की बच्चियां मर जाती है जिससे अधिकांश मामलों में अभियुक्त बरी हो जाता है या सजा कम करवाने में सफल हो जाता है क्योंकि लड़कियां गवाही के लिए अदालत के सामने नहीं होती है।

आजकल शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब अखबार में दुष्कर्म का समाचार न मिलता हो। यहां तक कि बसों में यत्रा करते समय उनसे छेड़छाड़ होती है, दफ्तरों में वे सुरक्षित नहीं हैं, एकान्त में उनके साथ दुर्व्यवहार होने का खतरा हमेशा बना रहा है, क्योंकि पुरूष मन आज भी यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि स्त्री का अपना अस्तित्व, अस्मिता और व्यक्तित्व भी होता है। इससे ज्यादा शर्मानाक स्थिति तब होती है जब महिलाओं का उत्पीड़न करीबी या रिश्तेदार करते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अधिसंख्या घटनाएं प्रकाश में नहीं आती । बदनामी के डर से असंख्य पीड़िताएं ऐसे कृत्यों की सूचना अपने परिवार के लोगों को भी नहीं देती। यदि परिजनों को पता चल भी जाता है तो अधिकांश लोकलाज के भय से चुप रहते हैं।

फिर भी महिलाओं के ऊपर हो रहे हिंसा के विरूद्ध कई सशक्त आवाजे उठी हैं। सरकार भी एक बेहतर कानून बनाने की ओर तत्पर हुई है। सिर्फ कानून बनाकर ही इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है बल्कि उन कानूनों को जन–जन तक परिचित कराना और उसे सही तरीके से क्रियान्वयन की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें धर्म की संकीर्णता की जकड़न से मुक्त कराना होगा। क्योंकि शुरू से ही नारी का धर्म में बहुत विश्वास रहा है। वह स्वभाव से ही पुरूष की अपेक्षा अगाध श्रद्धा एवं विश्वास रखती है। धार्मिक भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, अस्पृश्यता एवं कुरीतियों के अलावा इस बात के प्रति भी विद्रोह महिलाओं को करना होगा कि जो धर्म के ठेकेदार अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते आ रहे हैं। बहुत कम ही ये स्त्रियों के प्रति अस्पृश्यों के प्रति, सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन सत्ता में बैठा पुरूष–मानस सोचता है कि महिला कब से समान हो गई? क्या जरूरत है समानता की? पुरूष ही समाज का संचालन कर सकता है।

यह सत्य है कि पारंपरिक ज्ञान के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन यही परम्पराएं जब रूढ़िया बन जाती हैं तो उनकी जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है। नारी का परम्परा के प्रति विरोध मुख्यतः जाति, अर्थ और लिंग पर आधारित विभेद के कारण हैं। इसी लिंगभेद के कारण नारी को विविध मुखी शोषण का शिकार होना पड़ता है जिससे पुरानी परम्पराओं के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वास्तव में जहां पराधीनता होगी वहां विद्रोह के बीज मिलेंगे। स्त्री भी आखिर मनुष्य ही है जो अपनी स्थिति को लगातार बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। आधुनिक काल में स्त्रियों के सोच में घर, परिवार, विवाह के प्रति बदलाव आया है वह अब विवाह को दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच एक पारस्परिक समझौते से उत्पन्न संबंध स्वीकारती है। यदि यह संबंध उसको अपेक्षित सुख नहीं दे पाता तो इसे तोड़कर वह स्वतंत्र रहना ज्यादा पंसद करती है।

आजादी मिलने के उपरान्त भारतीय स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दृष्टियों से वैद्याानिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनका अधिकांश समय पुरूषों के साथ विभिन्न कार्यालयों में व्यतीत होने लगा। अतः कार्यरत स्त्रियों में से अधिकांश ने स्त्रियों के सम्मुख उत्पन्न घर–बाहर की समस्या, अधिकार की सुरक्षा से संबंधित समस्या का समाधान पाश्चात्य देशों की कार्यरत स्त्रियों के अनुकरण द्वारा पुर्ण करने का प्रयास किया जिसके कारण परम्पराओं में बदलाव आया और पारावारिक व्यवस्था विघटित होने लगी। यही नहीं प्राचीन व्यवस्था के प्रति उसका मोह भंग चुका है। नारी चेतना, तभी शिक्षा प्रणाली और नारी के बदले परिवेश के कारण प्राचीन सामाजिक संरचना और ढांचे में गहरी दरारे दिखाई देने लगी हैं। परिणामस्वरूप मूल्यों में बहुत गहरा बदलाव आया है। नारी ने अपने शोषण के विरूद्ध अपनी वाणी को मुखर कर लिया है। वह चुपचाप जुल्म सहन नहीं करती बल्कि वह अपने अधिकार के प्रति सजग हो गई है और अपनी सुरक्षा के प्रति पारम्परिक मूल्यों से लड़ रही है। नारी ने आधुनिकता को अपना चरित्र बना लिया है। स्वातंत्रय की चेतना को नई मूल्य व्यवस्था ने उसे उड़ने को पंख तो दिये हैं किंतु उसके डैने टूटे हुये हैं, उसका जीवन अभी भी विवश आत्मसमर्पण ही है।

एक तरह से पारम्परिक मूल्य मान्यताओं के विघटन ने नवीन मूल्य स्थितियों एवं पति–पत्नी के पारस्परिक संबंधों में निष्ठा एवं सौहार्द के अभाव के कारण, पर पुरूष अथवा पर स्त्री के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा इस दमित मौनकांक्षा और अन्तर्द्वन्द्व के कारण आज अधिकांश नारी किसी अन्य पुरूष के साथ अल्पकालिक शारीरिक संबंध स्थापित करने पर दाम्पत्य जीवन के प्रति विश्वासघात नहीं मानती है। आज स्त्री–पुरूष दोनों ही यौन संबंध अथवा तृप्ति के लिए बिना किसी पापबोध के लालायित है। इस भोगवादी व्यावसायिक संस्कृति में भावना के लुप्त हो जाने पर नवधनिक सफेदपोश, गुण्डों और रिश्वतखोर अधिकारियों की शक्ति प्रदर्शन की उभरती सांमती वृत्ति के परिणामस्वरूप आम आदमी सम्मान से नहीं जी पा रहा है। अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहा है और मानव मूल्यों पर से उसकी आस्था उठ रही है। जिस देश में नारी पूज्य मानी जाती है वहां आकड़े कुछ और कहते है। यहां महिलाएं बीमारी से कम मरती हैं लेकिन यहां हर मिनट पर 26 महिला एंव बच्चियां बलात्कार, 102 दहेज के मामले में, 51 यौन शोषण, 53 अन्य जुल्म द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं। बदनामी, अज्ञानता या भविष्य नष्ट होने के भय से अनदर्ज मामलों की संख्या तो इससे कहीं बढ़कर फिर भी भारतीय नारी इन विषय परिस्थितियों में भी पुरूष वर्चस्व को चुनौती देती आ रही है। लिंग भेदीय असमानता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अपनी अनुपस्थिति को स्त्री ने अपने संघर्ष और जिजीविषा के द्वारा तोड़ा है। आज स्त्री ने अपने दम पर अपनी अस्मिता का निर्माण किया है। अपने अधिकारों को अनवरत संघर्ष के द्वारा हासिल किया है।

इन सबके बावजूद अनेक क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति अब भी गायब है जिसके लिए सभी वह संघर्ष कर रही है। आज नारी के इस संघर्ष पर पंत जी की कविता की ये पंक्तियां कह रही है–

'' मुक्त करो नारी को मानव,
चिर वन्दिनी नारी को।
युग–युग की बर्बर कारा से,
जननी सभी प्यारी को''

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 स्त्री विमर्श इतिहास में अपनी जगह (लेख) प्रभा खेतान, हंस (जनवरी–फरवरी–2000)–पृ.स. 36

2 नारी चेतना के आयाम, डॉ. अलका प्रकाश, पृ.सं. 122, 123, 143

3 दैनिक जागरण, बृहस्पतिवार, 19 नवम्बर, 2009, पृ. सं. 8

4 औरत होने की सजा, अरविन्द जैन, पृ. 21

5 सरिता मुक्ता (रिप्रिंट 12) दिल्ली प्रेस, नई दिल्ली, पृ. 185

6 दैनिक जागरण 8 मार्च 2011, पृ. सं. 8, 11